

रामधन बनाम हरदीन वगैरह

14.1.21

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 22.05.2019 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 10 की तलबी हेतु बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी एवं 3 बार अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किये हैं। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 10 की तलबी हेतु सम्मन/नोटिस पेश नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्थान न्यायाधीश प्रधिकारी
अजमेर